(प्रपत्र–30)

कार्य का नामः– **जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

(लम्बाई–7.500किमी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 2.2320 है0 आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि प्रस्तावित है। जिसमें आरक्षित वन भूमि 1.6450 है0 एवं सिविल भूमि 1.4385 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05/02/2006 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, आं0एफ0सी0 केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Groups) प्रभावित नहीं हो रही है।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी

उपजिलाधिकारी

जिलाधिकारी
देहरादून
जिलाधिकारी
देहरादून

तहसीलदार

(51)

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– <u>जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।</u>
(लम्बाई–7.500 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– <u>डिरनाड़</u>

तहसील– त्यूनी, जिला देहरादून

उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 1.6450 है0, सिविल सोयम भूमि 1.4385 है0, वन पंचायत भूमि शून्य है0) अर्थात कुल 3.0835 है0, वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **डिरनाड़** द्वारा दिनांक 02/11/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **डिरनाड़** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 नि0ख0 पी0एम0जी0एस0वाई0 कालसी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्रा0 पं0 डिरनाड़
वि0ख0 चकराता (देहरादून)

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत डिरनाड़
वि0खं0 चकराता (दे0दून)

प्रपत्र–23.1

दिनांक – 02/11/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम– डिरनाड़

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जैन्दर सिह	जैन्दरसिह
2	वणूराम	वणूराम
3	हरपाल सिह	हरपाल
4	रणवीर सिह	रणवीरसिह
5	औगरसिह	औगरसिह
6	दीवान सिह	दीवानसिह
7	जीतसिह	जीतसिह
8	सोबन सिह	सोबनसिह
9	बचनसिह	बचनसिह
10	रवीन्द सिह	रवेन्द्रसिह
11	तोलासिह	तोलासिह
12	अतर सिह	अतरसिह
13	विनोद सिह	
14	धुरवीर सिह	
15	रमेश सिह	
16	परसराम	परसराम
17	प्रीतम	
18	यशपालसिह	यशपालसिह
19		
20		

प्रधान
ग्राम पंचायत डिरनाड़
वि0खं0 चकराता (दे0दून)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–7.500 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, –त्यूनी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम–2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, त्यूनी

उपखण्ड त्यूनी परिक्षेत्र के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग हेतु (आरक्षित वनभूमि 1.6450 है0, सिविल सोयम भूमि 1.4385 है0, वन पंचायत भूमि शून्य है0 अर्थात कुल 3.0835 है0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–त्यूनी) की दिनांक 06/04/2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (व अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ब्रिजेश कुमार तिवारी, उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1 श्री ब्रिजेश कुमार तिवारी उपजिलाधिकारी .... अध्यक्ष

2 श्री सुबोध कुमार काला उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी / चकराता .... सदस्य

3 श्री मिठ्ठू लाल .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य / सचिव

4 श्री दीपमाला .... बी0डी0सी0 क्षेत्र .... सदस्य

सदस्य क्षेत्र पंचायत कुनार वि0ख0 चकराता, (देहरादून)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी चकराता (देहरादून)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड़ मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य** परियोजना हेतु **3.0835 है0 वन भूमि (1.6450 आरक्षित वन भूमि एंव 1.4385 है0 सिविल सोयम भूमि) ग्राम्य विकास विभाग,** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी हैं अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **त्यूनी** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड़ मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु **3.0835 है0** वन भूमि **(1.6450 है0 आरक्षित वन भूमि एंव 1.4385 है0 सिविल सोयम भूमि) ग्राम्य विकास विभाग,** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– त्यूनी,
जनपद–देहरादून

<u>प्रतिलिपिः–</u> जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– त्यूनी,
जनपद–देहरादून

सदस्य
क्षेत्र पंचायत फनार
वि0ख0 चकराता, (देहरादून)

तहसीलदार
त्यूनी

(55)

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांकः– 903/CPO-DM-2018 दिनांकः– 23-6-18

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतुं गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 23/06/2018 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत **कथियान से डिरनाड़ मोटर मार्ग** के नव निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु **3.0835 हैक्टेयर** भूमि वन विभाग से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड समिति–त्यूनी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यो द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी– त्यूनी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त **3.0835 हैक्टेयर** भूमि जो कि वन विभाग के देवधार रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी– त्यूनी की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

(अनुराग रतूड़ी)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
देहरादून

(एस0 ए0 मुरूगेशन)
जिलाधिकारी, देहरादून

पृ0स0 /डी0एल0आर0सी0/ दिनांक

प्रतिलिपिः–

1 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, कालसी

(एस0 ए0 मुरूगेशन)
जिलाधिकारी, देहरादून

(58)

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT – DEHRADUN (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Dehradun District – Dehradun constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. S. A. Murugesan , I.A.S. District Magistrate on Dated 23/06/18 at 11 AM at Dehradun in which the application claiming rights in Mail area measuring **3.0835 Hect** for the Construction of **Kathiyan to Dirnad** Motor Road under PMGSY of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of **Tyuni** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:

Dated:

DistrictMagistrate
District level Committee
जिलाधिकारी
देहरादून

(57)

FORM-I

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No..... Dated..23/06/2018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act,2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that **3.0835** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **P.W.D Uttarakhand** for New **Road Construction in Dehradun** district falls within jurisdiction of **Dirnad** Village in **Tyuni Tehsils.**

It is further certificated that:

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **3.0835** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....

(b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
देहरादून

(58)

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नामः– **जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

(लम्बाई–7.500 कि0मी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत **कथियान से डिरनाड़** मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु **3.0835 है0** वनभूमि ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिनियम–2006 के तहत संलग्नक प्रमाण पत्रों के अनुसार प्रयोजना के निर्माण किसी अनुसूचित, जनजाति/वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

ह0.................................

जिलाधिकारी, देहरादून

जिलाधिकारी
देहरादून